

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री सुनील कुमार,
अनुमंडल पदाधिकारी,
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढी)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढी से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप बथनाहा प्रखंड (जिला-सीतामढी) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, सीतामढी से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि (रुपये में)
329.01971	450757

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 329.01971 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वसभाजन,
12/4/15
(प्रदीप कुमार)
सचिव

क्र.	जिला	प्रखण्ड	प्रवि०पदा० का नाम	अवशेष खाद्यान्न	समतुल्य राशि
1	सीतामढी	परिहार	श्री राजीव शंकर	980.95715	1343911.3
2	सीतामढी	बथनाहा	श्री सुनील कुमार	329.01971	450757
3	सीतामढी	बथनाहा	श्री मनोज कुमार	329.01971	450757
4	सीतामढी	बथनाहा	श्री इब्रार अहमद	329.01971	450757
5	सीतामढी	मेजरगंज	श्री कमलेश कुमार सिंह	198.53715	271995.9
6	सीतामढी	मेजरगंज	श्री राजकुमार सिंह	198.53715	271995.9
7	सीतामढी	मेजरगंज	श्री मनोज कुमार	198.53715	271995.9
8	सीतामढी	मेजरगंज	श्री विपिन कुमार राय	198.53715	271995.9
9	सीतामढी	रीगा	अशोक कुमार पाल	130.00219	178103
10	सीतामढी	रुन्नी सैदपुर	श्री शिव कुमार सहाय	124.33647	170340.96
11	सीतामढी	वैरगनीया	श्री मनोज कुमार	61	83570
12	सीतामढी	वैरगनीया	श्री इब्रार अहमद	61	83570
13	सीतामढी	सोनवर्षा	श्री किशोर कु० प्रसाद	187.64161	257069
14	सीतामढी	सोनवर्षा	श्री जयशंकर मंडल	187.64161	257069

65

New Delhi
Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified.*

सर्व सद

Sir/Madam.

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

Handwritten signature and initials

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

18
11/06

Contd...2/-

राज्य सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
क. ब. न. वि. प्र. वि. वि.
राजधानी इलाका

